राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1685/2010/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन–द्वितीय,घट–प्रथम,राज.जयपुर — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स श्री अशोक पुत्र बद्री प्रसाद,वाहन चालक
विराट नगर, अलवर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से

———

निर्णय दिनांक 28.11.2016

निर्णय

यह अपील प्रतिकरापवंचन–द्वितीय,घट–प्रथम,राज.जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा उपायुक्त (अपील)चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 34/अपील्स–चतुर्थ/08–09/सी में पारित आदेश दिनांक 19.02.2010 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 12,600/–एवं धारा 76 (13) के अन्तर्गत कर रू. 5,250/–कुल रू. 17,850/–की मांग आदेश दिनांक 28.04.2008 पारित कर सृजित की है, को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 28.04.2008 को वाहन संख्या आरजे 14–जीए–3841 को विश्वकर्मा औद्यौगिक क्षेत्र रोड नं. 14, जयपुर पर जांच की गई । वक्त जांच वाहन में टब सोप परिवहनित किया जाना पाया गया। परिवहनित माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर माल प्रभारी ने बिल संख्या 69 दिनांक 127.04.2008 पेश किया,जिसे प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानते हुए प्रस्तुत दस्तावेज एवं परिवहनित माल का सत्यापन कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब पर विचार करने के पश्चात प्रस्तुत बिल में अंकित माल के प्रेषिती फर्म की जांच पर माल प्रेषिती फर्म मिथ्या पायी गयी। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने माल की कीमत 42,000/–पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 12,600/– व व्यवहारी अपंजीकृत होने के कारण उसे डीम्ड डीलर मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (13) के अन्तर्गत कर रू. 5250/–कुल रू.17,850/–की मांग कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 28.04.2008 पारित कर सृजित की है,जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने सृजित

मांग को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उक्त अपीलीय अधिकारी क अपीलाधीन आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील कर निर्धारण अधिकारी के ओर से प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2010 नियम एवं विधिक स्थिति के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि वक्त जांच प्रस्तुत बिल में अंकित माल के प्रेषिती फर्म की जांच पर माल प्रेषिती फर्म मिथ्या पायी गयी, इसलिए अतः कर निर्धारण अधिकारी ने माल की कीमत 42,000/–पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रू. 12,600/– व व्यवहारी अपंजीकृत होने के कारण उसे डीम्ड डीलर मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (13) के अन्तर्गत कर रू. 5250/–कुल रू.17,850/–की मांग की है, जो पूर्णतया विधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त किया है,जो पूर्णतः अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी बावजूद तामीली नोटिस के उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए विभाागीय प्रतिनिधि की बहस श्रवण की जाकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकनकिया गया। अपीलीय अधिकारी के पत्रावली पर बिल के अवलोकन ज्ञात होता है कि पत्रावली माल के प्रेषक व प्रेषिति दोनों राजस्थान राज्य के पंजीकृत व्यवसाई हैं। परिवहनित माल मैसर्स भण्डारी केबल्स प्रा.लि., के बिल संख्या 69 दिनांक 27.04.2008 फर्राटा वाश सोप टब से आच्छादित था जिसमें 12.5 प्रतिशत वैट टैक्स लगाया गया था। बिल में माल के प्राप्तकर्ता फर्म के नाम, पते एवं अन्य समस्त विगत अंकित की हुई थी। चूंकि कम्पनी के द्वारा चिढ़ावा स्थित शहर में विभिन्न पार्टियों के यहां पर माल नियमित रूप से सप्लाई किया जाता है तथा गलती से दीपक एजेन्सीज के टिन नं. 08851401347 अंकित कर दिये गये जबकि उक्त फर्म के सही टिन नं. 08851401347 नहीं होकर टिन नं. 08971401281 थे। इस बिल में अंकित टिन नं. मैसर्स प्रभुदयाल ताराचन्द, मेन मार्केट, चिढ़ावा के थे, जिस फर्म के टिन नम्बर बिल में अंकित पाये गये तथा जो वास्तव में टिन नम्बर हैं उन दोनों ही व्यवहारियों को प्रत्यर्थी–व्यवहारी के द्वारा माल सप्लाई किया जाता रहा है। उल्लेखनीय है कि कम्पनी के प्रतिनिधि ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष ये तथ्य बता दिये गये थे परन्तु कर निर्धारण अधिकारी

द्वारा बिल में अंकित टिन को ही मैसर्स दीपक एजेन्सीज के मानते हुए प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या मानते हुए शास्ति एवं कर का आरोपण किया जो विधिसम्मत नहीं है। यदि कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत दस्तावेजों पर किसी प्रकार का संदेह था तो वह उक्त दस्तावेजों की जाँच व सत्यापन क्रेता/विक्रेता व्यवहारी से कर सकते थे, किन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार की जाँच व सत्यापन नहीं किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत बिल–बिल्टी आदि दस्तावेजों को मिथ्या भी प्रमाणित नहीं किया गया है और ना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करापवंचन के उद्धेश्य को ही प्रमाणित किया गया। अतः माल का परिवहन उचित दस्तावेजों के साथ होने के कारण करापवंचन की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती।

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त किया है,जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नजर नही आती है। फलस्वरूप उपरोक्त विवेचन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत कीगई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य